"नमक का दरोगा" उड़ा रहा नियमों की धज्जियां!!!

जेडीए के जोन 8 मे स्थित खसरा संख्या 464,465 पीपला भरतसिंह,तहसील सांगानेर पर चल रहे समस्कारा रिसॉर्ट का मामला!!!

साबू सोडियम क्लोरो लि. कंपनी के डायरेक्टर गिरधर साबू के नाम है यह जमीन!!

12460.54 वर्ग मीटर का भू-उपयोग कृषि से करवाया संस्थानिक उपयोग मे!!!

लेकिन संस्थानिक की आड़ मे चल रही व्यवसायिक गतिविधियां!!

भवन विनियमों के उल्लंघन,भू-रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के अलावा होटल/रेस्टोरेंट बार का नियमित लाईसेंस ना लेकर ओकेशनल लाईसेंस की आड़ मे शराब परोसने का मामला!!

SDRI,जेडीए,आबकारी और वित्त विभाग को नहीं मामले की भनक!!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

जवाब दो!!! सरकार www.jawabdosarkar.com देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/26 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 8 नवम्बर 2022

योगा और मेडिटेशन सेंटर के नाम पर चल रहा रिसॉर्ट और होटल!!

ध्यान और एकाग्रता की जगह विवाह समारोहों,फेशन शो और बड़ी बड़ी पार्टियों मे बज रहा डी.जे.और तेज संगीत!!!

विशेष रिपोर्ट-1

योग क्रियाओ की जगह चल रही शराब पार्टियां!!

एक ऐसा योगा सेंटर जहां भोर के समय योगा की शुरुआत की जगह खत्म होती है लेट नाईट पार्टियां!!!

सबसे बड़ा सवाल?क्या सरकार करवाएगी योगा एवं मेडिटेशन सेंटर की जगह चल रहे इस व्यवसायिक रिसॉर्ट की जांच?

क्या है जेडीए के जोन 8 मे स्थित खसरा संख्या 464,465 पीपला भरतसिंह,तहसील सांगानेर पर चल रहे समस्कारा रिसॉर्ट का मामला!!!

704	Mr. Girdhar Sabu, Director, Sabu Sodium Chloro Ltd., L-5, B-P, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur.	12/09/2014	Regarding approval of proposed map of Yoga and Meditation Center of Khasra number 464, 465, Revenue Village Pipla Bharat Singh, Tehsil Sanganer, Jaipur.	Yoga and Meditation Center
1201	Through Mr. Pankaj Sabu, Director Stling Bildholm Systems, 407, Paradise C61A, Sarojini Marg C-Scheme, Jaipur	05/09/2011	Khasra Number 150, 151/1 (Part) Village Cook, Tehsil of Amer, Jaipur Proposed business (Report) map Approval	Commercial Resort

दो कंपनियां:-उद्देश्य एक!लेकिन तरीके विपरीत!!

आपको बता दें कि वर्ष 2013 मे सी-स्कीम,जयपुर स्थित कंपनी साबू सोडियम क्लोरो लि द्वारा जरिए कंपनी डायरेक्टर गिरधर साबू सांगानेर तहसील स्थित राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह के खसरा संख्या 464,465 की कुल 12460.54 वर्ग मीटर कृषि भूमि का भू-उपयोग/रूपांतरण नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)नियम 2012 के नियम 22 के तहत संस्थानिक उपयोग हेतु योगा और मेडिटेशन सेंटर के लिए करवा कर,JDA से इस आशय से उक्त जमीन का पट्टा हासिल कर लिया गया|

इसके पश्चयात कंपनी द्वारा JDA की BPC की 162 वीं मीटिंग मे इस जमीन पर योगा और मेडिटेशन सेंटर चलाने के लिए भवन मानचित्र अनुमोदन करवा कर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई एवं इसके पश्चयात इस जमीन पर समस्कारा रिसॉर्ट एंड स्पा के नाम से 5 सितारा योगा और मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कर दिया गया गया|

होटल मे रुकने का पेकेज और रिसॉर्ट मे हो रहे फैशन शो की झलक

कंपनी की वेबसाईट पर भी इसे आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित 5 सितारा योगा और मेडिटेशन सेंटर होने का दावा किया जा रहा है|लेकिन मौके पर इस योगा और मेडिटेशन सेंटर की कुछ और ही हकीकत बयां हो रही है|सूत्रों के अनुसार कंपनी द्वारा संस्थानिक इकाई योगा और मेडिटेशन सेंटर के नाम पर होटल,बेनक्वेट हॉल और मेरिज गार्डन का निर्माण कर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है|जो कि भवन विनियमों के अनुसार अवैध श्रेणी मे आती है|

भवन विनियमों के उल्लंघन,भू-रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के अलावा होटल/रेस्टोरेंट बार का नियमित लाईसेंस ना लेकर ओकेशनल लाईसेंस की आड़ मे शराब परोसने के भी है आरोप!!

सूत्रों के अनुसार वर्तमान मे इस रिसॉर्ट मे योगा और मेडिटेशन सेंटर की बजाय भव्य होटल और कमरों का निर्माण करने के साथ साथ एक बेनक्वेट हॉल और मेरिज गार्डन का भी संचालन किया जा रहा है जहां पर नियमित होटल गेस्टों के आने के अलावा आए दिन शादी समारोहों,डांस पार्टियों,फेशन शोज का आयोजन किया जाता है|

इस प्रकार कंपनी द्वारा ना केवल योगा और मेडिटेशन के नाम पर भवन विनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि संस्थानिक इकाई के नाम पर भू-उपयोग/रूपांतरण और स्टाम्प ड्यूटी की भी जम कर चोरी की गई है|यदि मौके की 12460.54 वर्ग मीटर कृषि भूमि को होटल प्रयोजन (व्यवसायिक गतिविधियों) हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवाया जाता तो JDA/सरकार को लाखों रुपयों के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होती इसी के साथ लाखों रुपयों की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी सरकारी खजाने मे जमा होती|लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा ना कर,तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत कर,जमकर राजस्व को चुना लगाया गया|

रिसॉर्ट मे चल रही शराब पार्टी,शादी समारोह के दृश्य

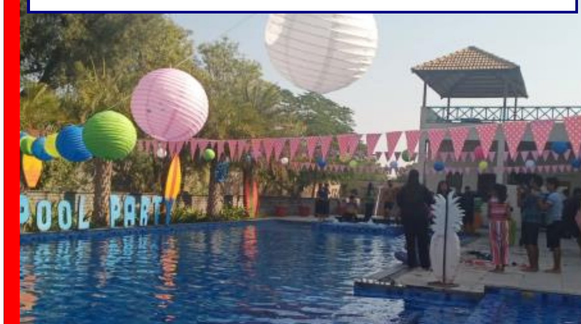

राजस्व चोरी के इन मामलों के साथ साथ इस बात का भी खुलासा हुआ है कि समस्कारा नामक इस रिसॉर्ट/होटल मे आने वाले नियमित ग्राहकों के लिए अथवा शादी पार्टियों के लिए होटल बार का नियमित लाईसेंस ना लेकर,ओकेशनल लाईसेंस की आड़ मे शराब परोसी जाती है|यदि आबकारी नियमों के अनुसार नियमित होटल बार का लाईसेंस लिया जाए तो उसके लिए 10 से 15 लाख रुपये वार्षिक लाईसेंस फीस के तौर पर जमा करवाने होते है जबकि ओकेशनल लाईसेंस के लिए महज कुछ हजार रुपये देकर काम चलाया जा सकता है|ऐसे मे कंपनी द्वारा बीते कई सालों मे लाखों रुपये के राजस्व का आबकारी विभाग को चुना लगाया जा चुका है|

SDRI,जेडीए,आबकारी और वित्त विभाग को नहीं मामले की भनक!!!

नियमों के अनुसार जहां भवन विनियमों की पालना करवाना JDA का काम है वहीं राजस्व चोरी के मामलों का पता लगाकर,जांच करना राज्य की SDRI इकाई के जिम्मे है इसी के साथ आबकारी शुल्कों की चोरी का पता लगाकर,कार्यवाही करना आबकारी और वित्त विभाग के जिम्मे है|लेकिन इस मामले मे लगता नहीं कि इन विभागों को समस्कारा रिसॉर्ट मे चल गड़बड़ियों की जानकारी है|देखना यह है कि मामला सामने आने पर जिम्मेदार विभाग कोई कार्यवाही करते है या फिर मामले को फ़ाइलों मे दफन कर देते है|